

श्रेयस्

श्री अशोक मांझरी,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा-केन्द्र 2, तम्रहाय-केन्द्र, प्रो. विद्यालय,  
बदौदा जिला ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकालः दिनांक: 8 तिसर, 1993

विषय:- नागाजी तरुवती विद्या मन्दिर मालदेपुर, बलिया की सी०बी०सा०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुमति प्रमाण पत्र दिले जाने के सम्बन्ध में ।

सहीदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कानून का निदेश हुआ है कि नागाजी तरुवती विद्या मन्दिर मालदेपुर बलिया की सी०बी०सा०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिले जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है:-

- 11) विद्यालय की पंजीकृत सीतापत्ती का तब तक समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13) विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्वयं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैदिक परिषद के अखिल स्कूल तटी/विशेष इकाई/मैकान नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की शिक्षा से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15) संस्था के शिक्षक एवं शिक्षितार कर्मचारियों को राजकीय तबायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिले जायेंगे ।
- 16) कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तबायता प्राप्त अकादमीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे  
तैरथा उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रमाण/परिणतों में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/  
संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरथा केविस अनिवार्य होना और यदि  
किसी समय यह पालन करना के वि लेना द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया  
जा रहा के प्रकटा पालन करने में किसी प्रकार की पुक या सिफिकता बरती जा रही  
के तो राज्य सरकार द्वारा पुस्तत अनापत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

सचिव

आदेश जारी है।  
उक्त शर्तों में

पुंनं 305411/15-7-1993 तदुक्ति  
\*\*\*\*\*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचना के तैरथा आकाशक कार्यवाही के तैरथा प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सचिवीय उप शिक्षा विभाग, वाराणसी मंडल, वाराणसी ।
- 3- शिक्षा विभाग, विहीन, बनारस ।
- 4- विभाग, सचिवीय वाराणसी मंडल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रमुख, वाराणसी सरकारी शिक्षा मण्डल, मान्डेपुर, बनारस ।

आगत है,

*[Handwritten Signature]*

आदेश जारी है।  
उक्त शर्तों में